राज्यपाल की भूमिका

अनुच्छेद 153 राज्य के राज्यपाल	प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति	राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग भारत संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति	राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।
अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि	राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा। राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ	राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक हो और पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें	राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा; अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा; उपलब्धियाँ तथा भत्तों का हकदार होगा।
अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा।
अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन	राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो संविधान के अध्याय–II में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है।

अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघूकरण की राज्यपाल की शक्ति	किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरूद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गये व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, उसका प्रविलंबन विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की शक्ति होगी।
अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्	जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा।
अनुच्छेद 164 मंत्रियों के अन्य उपबंध	राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता	राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन	किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी।
अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्त्तव्य	प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह– 1. राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे; 2. राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल माँगे, वह दे; और 3. किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्रिपरिषद् ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किये जाने पर परिषद् के समक्ष विचार के लिए रखे।
अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन	प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल से मिलकर बनेगा।

125

अनुच्छेद 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन	राज्यपाल समय–समय पर सदन को आहूत या सत्रावसान करेगा, और विधानसभा का विघटन करेगा।
अनुच्छेद 175 सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार	राज्यपाल विधान सभा में अभिभाषण कर सकेगा..., राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकेगा।
अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण	राज्यपाल द्वारा सदन के लिए विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिये गये प्ररूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा।
अनुच्छेद 192 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय।
अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति	विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर विचार करने के लिए राज्यपाल अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है या आरक्षित रखता है।
अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक	जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परन्तु जहाँ विधेयक धन विधेयक नहीं है वहाँ राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को, यथास्थिति राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को लौटा दे..... राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा।

J24

अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण	राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सदन के समक्ष..... प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा।
अनुच्छेद 203 विधानमंडल के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया।	किसी अनुदान की माँग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।
अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान	राज्यपाल, यथास्थिति, सदन के समक्ष व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करनेवाला दूसरा विवरण रखवाएगा।
अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध	अनुच्छेद 199 के खंड (1) के उपखंड (क) से उपखंड (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करनेवाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुरः स्थापित या प्रस्तावित किया जायेगा अन्यथा नहीं और ऐसा उपबंध करनेवाला विधेयक. ..... किसी कर को घटाने या उत्सादन के लिए..... नहीं होगी।
अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति	उस समय को छोड़कर जब किसी विधान सभा सत्र में है या विधान परिषद् वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में है, यदि किसी समय राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि. ..... तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो।
अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें	भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और..... ... नियुक्ति की दशा में..... राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा... जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।
अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त, प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले, उस राज्य के राज्यपाल या..... व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए.....

12-3

अनुच्छेद 243 (झ) वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन	राज्य का राज्यपाल, संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, और तत्पश्चात्.... ..... पुनर्विलोकन के लिए सिफारिश करेगा।
अनुच्छेद 243 (झ) (4) वित्त आयोग	राज्यपाल इस अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा।
अनुच्छेद 267 (2) आकस्मिकता निधि	राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो " राज्य की आकस्मिकता निधि" के नाम से ज्ञात होगी जिसमें..... जमा की जाएँगी..... अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा .....
अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि	लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा और, यदि वह राज्य आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जायेगा।
अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना	आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, जिसके संबंध में खंड (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है कि राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।
अनुच्छेद 333 आंग्ल–भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व।	राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 355 एवं 356 राष्ट्रपति शासन	1. केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास के बारे में राष्ट्रपति को नियतकालिक प्रतिवेदन भेजकर जानकारी देगा।

	2. यदि राज्य के हित में राज्यपाल महसूस करता हो कि केन्द्र को हस्तक्षेप करना चाहिए तो ऐसा कहने के लिए वह कर्तव्य द्वारा आबद्ध है।
	3. राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अधीन सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चले और अथवा राष्ट्रपति शासन घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण	1. राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किये गये या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। परन्तु अनुच्छेद 61 के अधीन आरोप के अन्वेषण के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय अधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा : परन्तु यह और कि इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरूद्ध समुचित कार्यवाहियाँ चलाने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बंधित करती है। 2. राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरूद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार की दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या चालू नहीं रखी जायेगी। 3. राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जायेगी।

121

कुलाधिपति

राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में

(1) बिहार के राज्यपाल कुलाधिपति होंगे एवं अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रमुख और सीनेट के अध्यक्ष होंगे तथा उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह तथा सीनेट की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय, इसकी इमारतें, प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ एवं उपकरण, किसी महाविद्यालय या छात्रावास, संचालित अध्यापन या परीक्षाएँ अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किये गये किसी कार्य के निरीक्षण की और विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले की बाबत ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों, जिसे उसी प्रकार से जाँच करने या करवाने के लिए निदेशित किए जाएँ, द्वारा ऐसे निरीक्षण करवाने की शक्ति होगी [तथा इस तरह के निरीक्षण में आवश्यक सहायता प्रदान करवाना संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पदाधिकारियों का कर्त्तव्य होगा :]

परन्तु कुलाधिपति प्रत्येक मामले में कुलपति को निरीक्षण करने या पूछताछ करने या निरीक्षण जांच करवाने के अपने इरादे से अवगत करवाएगा तथा विश्वविद्यालय उसमें प्रतिनिधित्व का हकदार होगा।

(3)(क) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच परिणाम कुलपति को भेज सकेगा और कुलपति सिंडिकेट तथा अकादमिक परिषद् तक कुलाधिपति के विचारों को संचारित कर सकेगा।

[(ख) ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणामों पर यदि किसी प्रकार की कार्रवाई की गयी है या प्रस्तावित है तब सिंडिकेट अथवा अकादमिक परिषद् इसका प्रतिवेदन निर्दिष्ट समय के भीतर कुलाधिपति को देगा।]

(ग) जहाँ सिंडिकेट अथवा अकादमिक परिषद् एक उचित समय के भीतर कुलाधिपति को संतुष्ट कर सकने योग्य कार्रवाई कर पाने में विफल रहता है, तो कुलाधिपति सिंडिकेट या अकादमिक परिषद् द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण अथवा दाखिल अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश, जिसे वह उचित समझे, दे सकेगा तथा सिंडिकेट एवं अकादमिक परिषद् उसका तत्काल अनुपालन करेगा।

[परन्तु उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति, यदि वह आवश्यक समझे, कुलपति से प्राप्त प्रतिवेदन (रिपोर्ट) के आधार पर या अन्यथा

विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी शिक्षक अथवा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण माँग सकेगा और आरोपों पर विचार करने के बाद वह जैसा उचित समझे वैसा निदेश जारी कर सकेगा तथा यथास्थिति कुलपति, सिंडिकेट और अकादमिक परिषद् या शासी निकाय या तदर्थ समिति विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इसका अनुपालन करेगा।]

(4) कुलाधिपति लिखित में आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की किसी कार्यवाही या आदेश को निष्प्रभावी कर सकेगा जो इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश या विनियम के अनुरूप नहीं है अथवा जिसके लिए पर्याप्त कारण का अभाव है।

परन्तु ऐसा कोई आदेश या निदेश देने के पहले वह विश्वविद्यालय को कारण बताने के लिए बुलाएगा कि विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसा आदेश अथवा निदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, और यदि कोई कारण उक्त समय सीमा के भीतर दिखाया जाता है तब वह उस पर विचार करेगा।

(4)(क) कुलाधिपति अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश को पुनर्विलोपित कर सकेगा अथवा वापस ले सकेगा यदि वह ऐसा पुनर्विलोपन या वापसी न्याय की दृष्टि से उचित समझे अथवा अभिलेखों के आधार पर पूर्व में पारित आदेश को गलत पाये।

(5) मानद उपाधि देने के लिए हरेक प्रस्ताव कुलाधिपति की संपुष्टि के अधीन होगा।

(6) जहां इस अधिनियम या विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के लिए व्यक्तियों को नामित करने के परिनियम द्वारा उसे शक्ति प्रदत्त है कुलाधिपति आवश्यकता की हद तक तथा ऐसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे हित जो अन्यथा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तियों को नामित करेगा।

(7)(i) कुलाधिपति के पास विश्वविद्यालयों के पदाधिकारियों तथा शिक्षकों को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय अथवा उसी विश्वविद्यालय में उसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष पद पर स्थानांतरित करने की शक्ति होगी, स्थानांतरित होनेवाले अपनी–अपनी वरीयता बनाए रखेंगे।

(ii) कुलाधिपति को विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक अथवा अकादमिक हित में विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी करने की शक्ति होगी, जिसे वे आवश्यक समझें। कुलाधिपति द्वारा जारी किया गया निदेश यथास्थिति कुलपति, सिंडिकेट, सीनेट तथा अन्य निकायों, द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(119)

(iii) कुलाधिपति के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति के समक्ष अभ्यावेदन दे सकता है, जिसे अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त अपने पूर्व के आदेश को अभिपुष्ट करने, उपांतरित करने या विखंडित करने की शक्ति होगी तथा वह ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो वह उपयुक्त तथा उचित समझे।

(8) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियम द्वारा उन्हें प्रदत्त हों।

विधायी परिवर्तन (1982 के बाद)– इस धारा की उपधारा 7 को अंतःस्थापित किया गया था, और मौजूदा उपधारा 7 को अध्यादेश 39, 1986 द्वारा उपधारा 8 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया जिसे उत्तरवर्ती अध्यादेशों द्वारा अधिनियम 3, 1990 के अधिनियमिति तक जारी रखा गया।

(18)

इतिहास से ओत–प्रोत

ल्ली दरबार
किंग जॉर्ज
पंचम द्वारा
ाषित बंगाल
ा बिहार के
भाजन और
रेषद् में ले०
गवर्नर के
ार्यालय के
गामी गठन,
। पटना में
ई राजधानी
: तेज गति
विकास को
सुनिश्चित
किया।

चार वर्षीय प्रथम महायुद्ध ने 1914 से खूनी युद्ध में सभी महाद्वीपों को निमग्न करते हुए मानवता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह किया था. इसी समय बिहार ने आधुनिक राज्य में अपनी स्थापना के एक नए चरण की शुरूआत की। यह एक प्रक्रिया थी जो 1922 तक चरम पर थी लेकिन, किंग जॉर्ज पंचम की 12 दिसम्बर 1911 को दिल्ली दरबार घोषणा के साथ ही बिहार के एक अलग राज्य होने की प्रक्रिया शुरू हुई।

अप्रैल 1912 में ग्रेटर बंगाल से बिहार का औपचारिक विभाजन राज्य के लोगों के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सबसे पहले इसने बड़ी विशिष्ट संस्थागत इकाई का गठन किया– प्रथम परिषद् में लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय के साथ शासकीय भवन (बाद के दिनों में राज भवन), में इसका सचिवालय जो 1920 तक चला और फिर परिषद् में गवर्नर के पद के अधीन 1937 में देश में विधान सभा के पहले प्रांतीय चुनाव कराए गए। अंततः स्वतंत्रता के बाद की अवधि में राज्यपाल का पद अपने वर्तमान स्वरूप में उभरा।

राज्यपाल की शक्ति, कार्य और संवैधानिक स्थिति संविधान के द्वारा परिभाषित किये गये थे जिसे देश ने अंगीकृत किया। इसने स्वयं को एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने की भी घोषणा की जिसमें 26 जनवरी 1950 को सरकार का रूप संसदीय था, केन्द्र में राज्य के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति और राज्य/प्रांत में प्रमुख के रूप में राज्यपाल थे, यहाँ तक की वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ, केन्द्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के हाथ में थी। यह वर्तमान तक जारी रहा।

राज्यपाल के कार्यालय के महत्व के संकेतक के रूप में, उनमें से दो, गणतंत्र भारत के राष्ट्रपति बने–1967 में जाकिर हुसैन और 2017 में रामनाथ कोविंद। दोनों के बारे में विशिष्ट तथ्य है कि उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी है।

आधुनिक राज्य का निर्माण

1912 से पहले, ग्रेटर बंगाल के एक भाग के रूप में बिहार में ले० गवर्नर का शासन था और उसका सचिवालय कलकत्ता में था जो ग्रेटर बंगाल के प्रांतीय सरकार का भी स्थान था। व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए बिहार तीन प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों द्वारा शासित और प्रबंधित था। पटना में बाँकीपुर में प्रशासनिक मुख्यालय हुआ करता था। प्रांत की अपनी कोई राजधानी नहीं थी।

(17)

जब दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार और आसाम के भी पृथक्करण के संबंध में शाही सरकार के 'परम गुप्त' निर्णय का खुलासा किया तो सबकुछ बदल गया। उन्होंने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के प्रस्ताव के संबंध में निर्णय की घोषणा की। उसने कहा– "यह मेरी इच्छा है कि बनाए जानेवाले सार्वजनिक भवनों की योजना और परिकल्पना पर विचार सम्पूर्ण चर्चा, और सावधानी के साथ किया जाए, ताकि नयी रचना हर तरह से इस प्राचीन और सुंदर शहर के योग्य हो सके (ऐन इंपीरियल वीजन– थॉमस आर मेटकाफ)"। इस ब्ल्यु प्रिंट को राजधानी शहर पटना की परिकल्पना में भी विस्तारित और अंगीकृत किया गया।

अंत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भारत सरकार के अधिनियम, 1912 के द्वारा बिहार और उड़ीसा प्रांत को उसकी सीमा के साथ सृजन करने के संबंध में औपचारिक उद्घोषणा की। उद्घोषणा 22 मार्च, 1912 को की गयी थी।

परिषद् में ले० गवर्नर के पद की संस्था के आगामी गठन के साथ बिहार में नए राज्य के निर्माण का तेजी से विस्तार भी हुआ, जिससे इसकी शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक आधुनिकीकरण की लंबी यात्रा के लिए इसे तैयार किया।

बाद में 1936 में उड़ीसा से पृथक् होने के बाद बिहार प्रांत चार प्रमंडलों भागलपुर, पटना, तिरहुत और छोटा नागपुर से मिलकर बना। उनके जिले क्रमशः थे– भागलपुर– भागलपुर, मुंगेर, पुर्णिया, संथाल परगना; पटना– पटना, गया और शाहाबाद; तिरहुत– चम्पारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण तथा छोटानागपुर– हजारीबाग, मानभूम, पलामु और राँची।

वास्तव में घटनाएँ तेजी से होने लगीं। प्रथम ले० गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली ने 01 अप्रैल, 1912 को कार्यभार संभाला। उसने पटना के छज्जुबाग में दरभंगा राज से पूर्व में खरीदे गए आयुक्त के आवास को चुना। अन्यथा उनके रहने का स्थान राँची में ही होता क्योंकि इसकी जलवायु स्वास्थ्यवर्द्धक थी।

बेली को तीन सदस्यीय कार्यकारी परिषद् द्वारा सहायता और समर्थन दिया जाना था जिसकी सदस्यता ले० गवर्नर द्वारा चार तक बढ़ाई जा सकती थी। कार्यकारी परिषद् के तीन सदस्य थे– ई० ए० गैट, ई०वी० लेविंज और दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह। इसके अलावा 19 अतिरिक्त सदस्य और 21 निर्वाचित सदस्य जिसके अन्तर्गत पाँच–पाँच सदस्य

नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड तथा भू–धारकों के तथा चार सदस्य मुस्लिम निकाय के एक–एक सदस्य ईख रोपक और खदान समुदाय के थे।

राजधानी शहर का बनाया जाना

शासन की एक नई संरचना आकार लेने लगी। बेली ने छज्जुबाग स्थित अपने आवास पर 21 नवम्बर 1912 को बाँकीपुर दरबार आयोजित करने का आह्वान किया। दरबार में पाँच सरकारी और सामाजिक संस्थाओं ने अपना ज्ञापन पढ़ा। प्रतिनिधित्व करनेवाले निकाय थे– बिहार भू–धारक संघ, पटना जिला बोर्ड, पटना नगरपालिका, प्रांतीय मुस्लिम लीग, प्रधान भूमिहार सभा, क्षत्रीय प्रांतीक सभा और बंगाली व्यवस्थापक संघ। उन्होंने पटना के प्राचीन इतिहास को याद करते हुए को नयी राजधानी को प्राचीन गौरव के प्रतिबिम्ब के रूप में चाहा।

प्रस्ताव पर विचार करने के बाद बेली ने सभा को संबोधित किया। उसने कहा– "मैंने पटना की पुरानी भव्यता और भारत में शासन करनेवाले सबसे महान राजवंशों की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध शहर की एक समय धारण की गयी स्थिति से संबंधित आपके संदर्भ पर प्रसन्नतापूर्वक गौर किया है। आपके पास अपनी परंपराओं पर गर्व करने का हर कारण है और हालांकि, पटना में कई तरह के बदलाव हुए हैं और हाल में व्यापार केन्द्र के रूप में इसने अपना अधिक महत्व को खोया है, हम अच्छी तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि एक महान प्रांत की राजधानी के रूप में यह कम से कम अपनी पूर्व समृद्धि के कुछ हिस्सों को फिर से प्राप्त करेगा। सरकार की ओर से किसी प्रकार के प्रयास में कोई कमी नहीं होगी।"

"(द मेकिंग ऑफ ए प्रोविंस– पार्ट II ; सेलेक्ट डॉक्युमेंटस 1874–1917)"

उन्होंने जोड़ा "सिविल स्टेशन को तैयार करने का मामला उस समय से विचाराधीन है जब स्थल का चयन किया गया था। अब योजनाएं तैयार की जा रही हैं और मेरा मानना है कि जब वे पूरी तरह तैयार हो जाएंगी तब वे प्रस्तावित इमारतों की उपयुक्तता अथवा गरिमा के लिए शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ेगी।"

दुर्लभ संयोग से यह भारत की राजधानी नई दिल्ली तथा आस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को बनाने की भी अवधि थी जबकि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया पहले से ही स्थापित थी। वायसराय लार्ड हार्डिंग ने नई दिल्ली की शहरी योजना तथा भवन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर को चुना जो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में संघ के भवन की रूपरेखा तैयार कर चुके थे।

वायसराय हार्डिं ने 1913 में पटना में राजभवन के निर्माण की नीं रखी, 1916 त तीन प्रमुख भवन–राजभवन पुराना सचिवालय तथ पटना उच्च न्यायालय अधिभोग के लिये तैयार थे

जिस वास्तुविद् को उन्होंने पटना के नये शहर अथवा नये राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने के लिए चुना वो जे. एफ मूनिंग्स था, एक न्यूजीलैंड वासी जो कि लुटियंस व बेकर के कार्यों से अवगत था, तथा जिसने ढ़ाका के भवनों की रूपरेखा भी तैयार की थी। मूनिंग्स को राँची और पटना के सरकारी भवनों (जो बाद में राज्यपाल भवन कहलाया), सचिवालय (अब जिसे आमतौर पर पुराने सचिवालय के नाम से जाना जाता है) तथा पटना उच्च न्यायालय के भवनों की रूपरेखा बनाने का काम सौंपा गया था।

पटना के नये राजधानी क्षेत्र के लिए जिस स्थल का चयन किया गया था वह एक विशाल आयताकार स्थान था जिसमें संजय गाँधी जैविक एवं वनस्पति पार्क जिसे आज आमतौर पर पटना चिड़ियाघर कहा जाता है, पटना गोल्फ क्लब और बेली रोड, गार्डिनर रोड तथा हार्डिंग रोड से पटना हवाई अड्डे तक घिरा क्षेत्र शामिल था। सचिवालय तथा अन्य कर्मचारियों के जो सरकारी आवास थे वह गर्दनीबाग रेलवे लाईन के दक्षिण में स्थित थे। पहले एक प्रांतीय सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन कार्य शुरू कर चुकी थी। बिहार सचिवालय में लिपिकीय कर्मचारी और पदाधिकारीगण ढाका से लाए गए। वे गर्दनीबाग में तंबू में रहते थे।

सन् 1913 से राँची के सरकारी आवास पर कार्य शुरू हो चुका था तथा यह दो वर्ष में पूर्ण हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर बेली के वहां तुरंत स्थानांतरित होने के बाद वर्ष के अंत होते–होते वायसराय हार्डिंग ने पटना में सरकारी आवास/राजभवन के निर्माण की नींव रख दी थी।

बिहार के सरकारी आवास, वर्तमान समय के पुराना सचिवालय तथा पटना उच्च न्यायालय के भवन को पूर्ण होने में तीन साल लगे। इस बीच प्रमुख सड़कों बेली, हार्डिंग, सरपेन्टाइन तथा गार्डिनर रोड का भी निर्माण हुआ और 1916 तक तीन प्रमुख भवन–राजभवन, पुराना सचिवालय तथा पटना उच्च न्यायालय अधिभोग के लिए तैयार थे। लार्ड हार्डिंग ने इनका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को किया।

इसके होने के पूर्व बेली ने 28 जनवरी 1916 को एक और महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना ने पटना को आधिकारिक रूप से बिहार राज्य की राजधानी के रूप में निर्दिष्ट कर दिया। इसके पूर्व में 1864 में गठित पटना नगरपालिका को पटना सिटी नगरपालिका में परिवर्तित होना भी अधिसूचित किया और इससे नूतन पटना नगर के लिए एक पृथक् नगर–निकाय का मंच तैयार हुआ।

आधुनिक राज्य के कार्य

अंततः बिहार, उपनिवेश काल में, एक आधुनिक राज्य के रूप में कार्य करने लगा पहली मार्च 1916 से पटना उच्च न्यायालय ने कार्य करना शुरू कर दिया, जिससे बिहार पर कलकता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया और इससे उसका न्यायिक प्रशासन का नियंत्रण भी यहाँ से विच्छिन्न हो गया। इसी बीच, सरकार ने पटना में या इसके निकट एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 19 मई 1913 को एक समिति गठित की। फलतः एक अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया, जिससे बिहार में उच्च शिक्षा के संस्थानों के विस्तार के लिए मंच तैयार हो गया। 1946 में, बिहार में पुरूषों के 18 तथा महिलाओं के लिए 02 महाविद्यालय थे। 1949 में यह संख्या बढ़कर पुरूषों के लिए 25 तथा महिलाओं के लिए 03 हो गयी जिसमें पुरूष विद्यार्थियों की संख्या 17756 तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या 433 थी।

1937 में बिहार में पुलिस मशीनरी में 12698 पदाधिकारी और सिपाही थे (सरकारी भाषा में इन्हें 'आदमी' कहते थे)। फिर भी 1917–18 में महात्मा गाँधी के चंपारण सत्याग्रह के आस–पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष की गति बदल गई। बिहार ने असहयोग आंदोलन, गाँधी की दांडी यात्रा, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी पराकाष्ठा भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में हुई, में हिस्सा लिया और उसका गवाह बना।

राज्य का संवैधानिक प्रधान

1920 तक बिहार राज्य में, इसके न्यायिक प्रशासन, सिविल नौकरशाही, पुलिस और जेल प्रशासन, तथा राजस्व संग्रह से संबंधित मामलों का प्रधान लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रशासनिक सुधारों के साथ गवर्नर नामक संस्था का युग आरंभ हुआ। राजभवन की इमारत की पोर्टिको से जैसे ही कोई प्रवेश करता है, उसकी दो दीवारों पर लेफ्टिनेंट गवर्नरों एवं गवर्नरों की फ्रेम की गयी और टँगी श्वेत–श्याम तस्वीरें इस समृद्ध इतिहास के साइनपोस्ट की तरह दिखती हैं।

बिहार और उड़ीसा में उपनिवेश काल में 1936 तक कुल मिलाकर 04 लेफ्टिनेंट गवर्नर और 13 गवर्नर हुए और इसके पश्चात् जब उड़ीसा बिहार से अलग हुआ तो 14 अगस्त 1947 तक बिहार में आठ गवर्नर हुए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान (1939–45) चार मौकों पर बिहार में गवर्नर हुए थॉमस एलेक्जेंडर स्टीवार्ट, थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, रॉबर्ट फ्रांसिस मंडी इनमें रदरफोर्ड ने दो बार पदभार संभाला। राज्य के अंतिम ब्रितानी गवर्नर सर हफ डो (13 मई 1946 से 14 अगस्त 1947 तक) थे। फिलिप मेसन ने अपनी पुस्तक 'मेन टू रूल्ड इण्डिया' में लिखा है कि उन्होंने (सर हफ डो ने) द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान युद्धकाल सेवाओं का अनुकरणीय कार्य किया। आजादी के बाद की अवधि में, अब तक, बिहार में 38 राज्यपाल हुए हैं।

इसके अलावे, उपनिवेश काल में, बिहार और उड़ीसा में साथ–साथ चार कार्यवाहक गवर्नर हुए। आजादी के बाद बिहार में आठ कार्यवाहक राज्यपाल हुए। यही नहीं, अब तक तीन अवसरों पर पश्चिम बंगाल के दो राज्यपालों–गोपालकृष्ण गाँधी और केशरीनाथ त्रिपाठी ने दोहरे चार्ज में बिहार के राज्यपाल हुए, जिनमें श्री त्रिपाठी ने दो बार पदभार संभाला।

अभी तक, चाहे स्वतंत्रता पूर्व हो या आजादी के बाद का युग किसी महिला ने बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर या राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला। एडवर्ड एलबर्ट गेट दो बार लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए। इसी तरह 1920 में जब गवर्नर का पद अस्तित्व में आया, उड़ीसा के रायपुर से सत्येन्द्र प्रसन्न सिन्हा, जिन्हें लॉर्ड वैरन सिन्हा भी कहा जाता था, भारतीय मूल के पहले गवर्नर हुए।

स्वतंत्रता के पश्चात् जयराम दौलतराम पहले राज्यपाल थे। उनके नाम से पहले कुछ जो निर्णय लिए गए वे सात छात्रों, जो भारत छोड़ो आन्दोलन 1942 के दौरान 9 अगस्त को विधान सभा के निकट राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश करते समय पुलिस की गोली से शहीद हो गए थे, के नाम पर स्मारक निर्माण से और औपनिवेशिक काल में विशाल मैदान (रेस कोर्स मैदान भी कहलाता था) का नाम गाँधी मैदान के नाम, के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित थे। देश विभाजन के दौरान हिंसा को शांत करने की अपील करते हुए महात्मा गाँधी इसी मैदान के किनारे जहाँ उनकी प्रतिमा अभी स्थापित है, अनशन पर बैठे।

ह्यूग लैंसडाउन स्टीफेंसन तथा डेविड सिफ्टन ने तीन–तीन बार गवर्नर का पद संभाला जबकि मॉरिस गर्नियर हॉलेट, थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड तथा थॉमस एलेक्जेंडर स्टीवार्ट ने दो–दो बार पदभार संभाला। आजादी के बाद अखलाकुर्रहमान किदवई को छोड़कर किसी राज्यपाल ने दो बार पदभार नहीं संभाला। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, तीन राज्यपालों आर०आर० दिवाकर, जाकिर हुसैन तथा एम०ए०एस० आयंगार ने पाँच वर्षों के अपने कार्यकाल पूरे किये। किदवई छः वर्षों तक पद पर रहे और दूसरी बारी में पाँच साल का कार्यकाल पूरा किया।

पाँच अवसरों पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यू०एन० सिन्हा, के०बी०एन० सिंह, दीपक कुमार सेन, जी०जी० सोहनी तथा बी०एम०लाल कार्यवाहक राज्यपाल हुए।

जब जेम्स डेविड सिफ्टन (1932–37) गवर्नर थे, चूँकि उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था, बिहार और उड़ीसा की चौहद्दी पुनः निर्धारित की गयी। इसके अलावे नवम्बर 2000 में जब विनोद चन्द्र पाण्डेय राज्यपाल थे, झारखण्ड भी, जिसमें तत्कालीन छोटानागपुर के जिले तथा संथाल परगना प्रशासनिक प्रमंडल शामिल थे, अलग हो गया।

क्रमशः दूसरे और तीसरे राज्यपाल, माधव श्रीहरि अणे तथा आर० आर० दिवाकर के कार्यकाल के दरम्यान बिहार में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखे। उच्च शिक्षा के प्रसार का मार्ग प्रशस्त करते हुए 2 जनवरी 1952 को पटना विश्वविद्यालय को दो भागों पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय में विभाजित कर दिया गया जिसमें विश्वविद्यालयी एवं महाविद्यालयी शिक्षा में नये विस्तार के दर्शन हुये।

इस अवधि में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरूआत हुई जिससे प्रशासन, कोशी बराज परियोजना पर कार्य, और चूँकि 1952 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना हो गयी थी, प्राथमिक, मध्य तथा माध्यमिक शिक्षा के विस्तार में सुधार हुआ। इसी अवधि में केन्द्रीय सहायता से पुस्तकालय आन्दोलन तथा सांस्कृतिक शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संस्था निर्माण की शुरूआत भी हुई। जो संस्थाएँ खुलीं उनमें शामिल हैं : नालन्दा में पाली एवं प्राकृत तथा बौद्ध शिक्षण हेतु नालन्दा स्नातकोत्तर अध्ययन शोध संस्थान, दरभंगा में संस्कृत के लिए मिथिला स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, पटना में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् तथा के०पी जायसवाल शोध संस्थान और वैशाली में प्राकृत अध्ययन संस्थान।

गवर्नर डेविड सिफ्टन के कार्यकाल में 1934 के विध्वंसक भूकंप में राज्य को मुश्किल में डाल दिया था। एम०ए०एस० आयंगार तथा नित्यानन्द कानूनगो के कार्यकाल में 1967 के अकाल में भी ऐसा ही हुआ। इससे सामाजिक आर्थिक मंथन के एक लंबे युग का सूत्रपात हुआ। राजभवन में राजनीतिक अस्थिरता रही, अल्पावधि में राज्यपाल बदलते रहे।

राष्ट्रपति शासन

राज्य में आठ बार राष्ट्रपति शासन लगाए गये: 1968 और 1969 में नित्यानन्द कानूनगो के अधीन दो बार, 1972 में देवकान्त बरूआ के अधीन; 1977 में जगन्नाथ कौशल के अधीन; 1980 और 1995 में ए0 आर0 किदवई के अधीन दो बार; 1999 में राम सुन्दर भंडारी के अधीन; और 2005 में बटा सिंह के अधीन

राज्य में, विभिन्न कारणों से, आठ बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहले तीन अवसरों पर 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969; 4 जुलाई 1969 से 16 फरवरी 1970; 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक, इसका कारण विधायकों के दलबदल से उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता थी। चौथी और पाँचवी बार 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 तथा 17 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक रहा।

विधान सभा चुनाव का परिणाम आना बाकी होने के कारण संसद द्वारा लेखानुदान को सुगम बनाने हेतु 28 मार्च 1995 से 5 अप्रैल 1995 तक छठी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। सातवीं बार 12 फरवरी 1999 से 9 मार्च 1999 तक विधि–व्यवस्था की खराब स्थिति ने राष्ट्रपति शासन की ओर ढकेल दिया।

आखिरी बार केन्द्र ने 7 मार्च 2005 से 24 नवम्बर 2005 तक राष्ट्रपति शासन लगाया क्योंकि विधान सभा चुनाव का परिणाम निश्चयात्मक नहीं था और किसी राजनीतिक दल या गठबंधन को सरकार गठन के लिए बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था।

(110)

मैनुअल–1

संगठन के विवरण, कार्य एवं कर्तव्य

महामहिम राज्यपाल का कार्य संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना तथा बिहार के नागरिकों की शिकायतों का समुचित ढंग से निवारण कर उनकी मदद करना भी है। राज्यपाल बिहार के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है और सुसंगत अधिनियमों, परिनियमों, विनियमों, नियमावलियों एवं अध्यादेश के उपबंध के अनुरूप अपने कार्य संपादित करता है।

राज्यपाल :

भारत के संविधान के द्वितीय अध्याय में "राज्यपाल" विषयक वर्णन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और भारत के संविधान के अनुसार वह उसका प्रयोग सीधे या अपने मातहत पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक बना रहेगा और राज्यपाल (उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 तथा उसके अधीन निर्मित राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियमावली, 1987 के अनुसार उपलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारों का हकदार होगा। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों को करने में मदद करने तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा, सिवाय तब के जब जहाँ तक हो सके संविधान द्वारा उसे अपने कार्य स्वयं करना या उनमें से किन्हीं को उसे स्वविवेक से करना अपेक्षित हो। अनुच्छेद 166 के अधीन राज्य सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाई राज्यपाल के नाम अभिव्यक्त की जाएगी और राज्यपाल के नाम से निर्मित और निष्पादित सभी आदेश और अन्य लिखत राज्यपाल द्वारा बनायी जानेवाली नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट रीति से अधिप्रमाणित भी किये जाएँगे, और किसी आदेश या लिखत की वैधता जिसे अधिप्रमाणित किया गया हो को इस आधार पर प्रश्नांकित नहीं किया जाएगा कि यह राज्यपाल द्वारा निर्मित या निष्पादित नहीं है। राज्यपाल के पास, राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के नाते, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित शक्तियाँ और कार्य भी होते हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यपालिका नियमावली, 1979 जारी की गयी है। नियुक्ति विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं० ए 933, दिनांक 25 जनवरी 1952 के अनुसार राज्यपाल द्वारा या उसकी ओर से निर्मित एवं निष्पादित आदेश एवं लिखत बिहार के राज्यपाल के नाम से निर्मित एवं निष्पादित रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा जिसे प्रधान सचिव/सरकार के सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव या ऐसे किसी अन्य पदाधिकारी जिसे विनिर्दिष्ट रीति से राज्यपाल द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से शक्ति प्रदान की जाय द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा। अधिसूचना का पाठ निम्नांकित है :–

राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य :

1. अनुच्छेद 161 के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल को दंड क्षमा करने, दंड विराम करने, स्थगित करने या परिहार करने या यदि कोई व्यक्ति किसी विषय जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत हो से संबंधित किसी कानून के विरूद्ध सिद्धदोष होता है तो उस सजा को स्थगित करने या परिहार करने या रूपांतरित करने की शक्ति होगी।
2. अनुच्छेद 164 के अधीन राज्यपाल द्वारा मुख्य मंत्री की नियुक्ति की जाएगी और मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा और राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त तक मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे।
3. अनुच्छेद 165 के अधीन राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जिसके पास किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होगी।
4. संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ङ) के उपबंधों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को विधान परिषद् में मनोनयन जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन तथा समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
5. राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन की बैठक ऐसे समय तथा ऐसी जगह पर बुलाना जिसे संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के अनुसार ठीक समझा जाय। भारत संविधान के अनुच्छेद 174 (2) के अनुसार सदन या किसी भी सदन का सत्रावसान या विधान सभा को भंग करना भी।

6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 175 के उपबंधों के अनुसार विधान सभा या विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करना और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति का अपेक्षित होना। विधान मंडल के सदन/सदनों को संदेश भी भेजना कि विधान मंडल में या अन्यथा कोई विधेयक लंबित है, और कोई सदन जिसे ऐसा कोई संदेश भेजा जाता है सुविधानुसार यथाशीघ्र उसे मामले पर विचार करेगा जिस पर विचार करने की अपेक्षा संदेश में की गयी है।
7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संयुक्त सत्र को संबोधित करना।
8. अनुच्छेद 200 के अनुसार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये विधेयकों पर सहमति के लिए विचारण।
9. संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की प्राक्कलित प्राप्तियाँ तथा व्यय (वार्षिक वित्तीय विवरण) विवरण के उपस्थापन को सुनिश्चित करना।
10. सविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार विधानसभा के समक्ष राज्य के प्राक्कलित अतिरिक्त व्यय की राशि, यदि कोई हो, को दर्शानेवाले विवरण के उपस्थापन को सुनिश्चित करना।
11. जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो प्रशासन की अत्यावश्कताओं को पूरा करने के लिए अध्यादेश का प्रख्यापन।
12. संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति।
13. राज्य के काम–काज के विषय में भारत सरकार को समय–समय पर प्रतिवेदन भेजना।
14. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम 57 (5) के अधीन अपीलों पर विचारण एवं निष्पादन।
15. यात्रा पर आनेवाले राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी कूटनीतिज्ञों/दूतों तथा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक प्राधिकारियों से संबंधित प्रोटोकॉल (नयाचार)।
16. संवैधानिक और कानूनी प्राधिकारियों जैसे बिहार के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकायुक्त आदि को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाना।

17. राज्य के संवैधानिक प्रधान होने के नाते राज्य के सरकारी एवं गैर–सरकारी कार्यक्रमों की अध्यक्षता करना।

18. राज्यपाल राज्य स्थित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी होता है और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत कार्यक्रमों की अध्यक्षता करता है। वह विश्वविद्यालयों के सुसंगत अधिनियमों एवं परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति से जुड़े कर्त्तव्यों एवं कार्यों को भी निष्पादित करता है जैसे, कुलपतियों की नियुक्ति तथा उनकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करना, विश्वविद्यालय के अन्य कानूनी प्राधिकारियों की नियुक्ति, सिंडिकेट तथा सिनेट के विभिन्न कोटि के सदस्यों का मनोनयन, विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित परिनियमों, विनियमों तथा अध्यादेशों की अनुमति देना, पदाधिकारियों एवं शिक्षकों के अन्तर विश्वविद्यालयी स्थानांतरण पर विचार करना तथा स्वीकृति देना।

19. राज्य के संवैधानिक प्रधान होने के नाते नागरिक संबंधित प्राधिकारियों को विचारण और अनुकूल आदेश/निदेश देने हेतु अभ्यावेदन देते हैं/ज्ञापन एवं अर्जियाँ समर्पित करते हैं।

बिहार के राज्यपाल की पदेन भूमिकाएँ

राज्यपाल भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की बिहार शाखा, बिहार राज्य बाल कल्याण परिषद् के पदेन अध्यक्ष होते हैं और वे निम्नांकित संगठनों के भी अध्यक्ष हैं :

1. नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा
2. खुदाबक्श ओरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
3. गाँधी संग्रहालय, पटना (संकल्पना समिति)
4. बिहार सैनिक कल्याण निदेशालय, पटना
5. महिला इमदाद समिति, राजभवन, पटना
6. लेडी स्टीफेंसन हॉल, पटना

106

मैनुअल–2

पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य

राज्यपाल (उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्गत राज्यपाल (उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार) नियमावली, 1987 के नियम 5 के अनुसार राज्यपाल गृहस्थी स्थापन के साथ–साथ एक पृथक् सचिवीय कर्मचारीवृंद का भी हकदार होगा, जिसे संबंधित राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।

1. राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिवः राज्यपाल का प्रधान सचिव/सचिव, राज्यपाल सचिवालय का प्रधान होता है जो राजभवन की समस्त गतिविधियों एवं कार्यों का समन्वयन करते हुए राज्यपाल सचिवालय के समग्र प्रशासन, अधीक्षण तथा नियंत्रण, राजभवन तथा उसके परिसर के समुचित रख–रखाव एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। प्रधान सचिव/सचिव, महामहिम राज्यपाल के समस्त संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्यों एवं बाध्यताओं के समुचित निर्वहन में सहायता भी करता है। महामहिम राज्यपाल तथा उच्च पदस्थ आगन्तुकों के उचित प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है।
2. राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी : महामहिम राज्यपाल तथा प्रधान सचिव/सचिव को उनके कर्तव्यों एवं बाध्यताओं के निर्वहन में मदद करता है। सौंपी गयी, प्रशासनिक एवं वित्तीय, दोनों शक्तियों के अनुसार मामलों का निर्णय भी करता है।
3. राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) : महामहिम राज्यपाल तथा प्रधान सचिव/सचिव को कानूनी एवं विश्वविद्यालयों के मामलों से संबंधित कर्तव्यों एवं बाध्यताओं के समुचित निर्वहन में सहायता करता है।
4. संयुक्त सचिव : सभी प्रशासनिक मामलों तथा विश्वविद्यालयों के मामलों की देखभाल करता है तथा प्रधान सचिव की सहायता करता है।
5. विशेष कार्य पदाधिकारी (विश्वविद्यालय) : समस्त विश्वविद्यालय के मामलों की देखभाल करता है।
6. राज्यपाल के उप सचिव : राज्यपाल सचिवालय, बिहार में उप सचिव के दो पद हैं। वे सभी प्रशासनिक मामलों तथा विश्वविद्यालयों के मामलों की देखभाल करते हैं तथा ऐसे सभी मामलों में प्रधान सचिव की सहायता करते हैं। राज्यपाल के

उपसचिव महामहिम राज्यपाल के सभी गृहस्थी संबंधी मामलों की देखभाल करता है और प्रधान सचिव/सचिव द्वारा सौंपे गये विशेष कर्तव्यों के अलावे राजभवन तथा इसके परिसर के रख–रखाव एवं अनुरक्षण में प्रधान सचिव की सहायता भी करता है।

7. राज्यपाल के परिसहाय (ए०डी०सी०) : दैनंदिन भेटों/वचनबंधों तथा यात्रा कार्यक्रमों में महामहिम राज्यपाल के साथ रहना एवं सहायता करना और जब कभी सहायता की जरूरत हो तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना। महामहिम राज्यपाल की अनुपस्थिति में ज्ञापन प्राप्त करता है और राजभवन आनेवाले अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा अन्य उच्चपदस्थों की आगवानी भी करता है। ए०डी०सी० (पुलिस) राजभवन के वाहनों के रखरखाव तथा चलने से संबंधित मामलों की भी देखभाल करता है और ए०डी०सी० (सैन्य) राजभवन उद्यान के पर्यवेक्षण की देखभाल करता है।

8. राज्यपाल के निजी सचिव : महामहिम राज्यपाल के व्यक्तिगत एवं सामान्य पत्राचारों की देखभाल करता है। राज्यपाल के व्यक्तिगत प्रभावों का प्रबंधन करता है। दैनंदिन कार्यक्रमों में राज्यपाल की सहायता करता है।

9. राज्यपाल के अवर सचिव : राज्यपाल सचिवालय, बिहार में अवर सचिव के दो पद हैं। वे सभी प्रशासनिक तथा विश्वविद्यालय के मामलों की देखभाल करते हैं तथा ऐसे सभी मामलों में उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी तथा प्रधान सचिव/सचिव की सहायता करते हैं।

10. चिकित्सा पदाधिकारी : महामहिम राज्यपाल के व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। राजभवन में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक राज्य औषधालय होता है जिसकी देखभाल चिकित्सा पदाधिकारी तथा महिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

11. तकनीकी निदेशक एनआईसी : वह राजभवन के कम्प्यूटर कोषांग का प्रभारी होता है और राजभवन सचिवालय के कम्प्यूटरीकरण कार्य की देखभाल करता है (प्रतिनियुक्ति पर)।

12. जन–सम्पर्क पदाधिकारी : महामहिम राज्यपाल की जन–सम्पर्क में सहायता करता है और संदेश/शुभकामनाएँ और अभिभाषण तैयार करता है (प्रतिनियुक्ति पर)।

13. लेखा पदाधिकारी : वह सभी वित्तीय मामलों को देखता है और अवर सचिव/उप सचिव तथा प्रधान सचिव/सचिव की सभी वित्तीय मामलों में भी सहायता करता है।

14. प्रशाखा पदाधिकारी : प्रशाखा पदाधिकारियों के दो पद होते हैं जिनमें से प्रत्येक स्थापना तथा विश्वविद्यालय शाखा के प्रधान होते हैं। इन दोनों पदाधिकारियों के अलावे एक प्रशाखा पदाधिकारी राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर होता है। ये लोग संबंधित मामले देखते हैं और उन मामलों में राजभवन प्रशासन की सहायता करते हैं।

15. प्रोटोकॉल पदाधिकारी : राजभवन आनेवाले अतिविशिष्ट व्यक्तियों और अन्य उच्चपदस्थों की देखभाल करता है।

16. विधि पदाधिकारी : कानूनी एवं विश्वविद्यालय के मामलों में विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक) की सहायता करता है।

17. सर्जेण्ट मेज़र : परिसहायकों के मार्गदर्शन एवं अनुदेशों के अधीन कार्य करता है।

18. गृह अधीक्षक : गृह कार्य में लगे कर्मचारियों तथा उनके कार्यों एवं कर्तव्यों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है। गृह प्रबंधन के मामलों में और राजभवन में आयोजित किये जानेवाले कार्यक्रमों की व्यवस्था करने में राजभवन तथा इसके परिसरों के रख–रखाव में राजभवन प्रशासन की सहायता करता है।

103

मैनुअल–3

राज्यपाल सचिवालय, बिहार का ऑर्गोनोग्राम

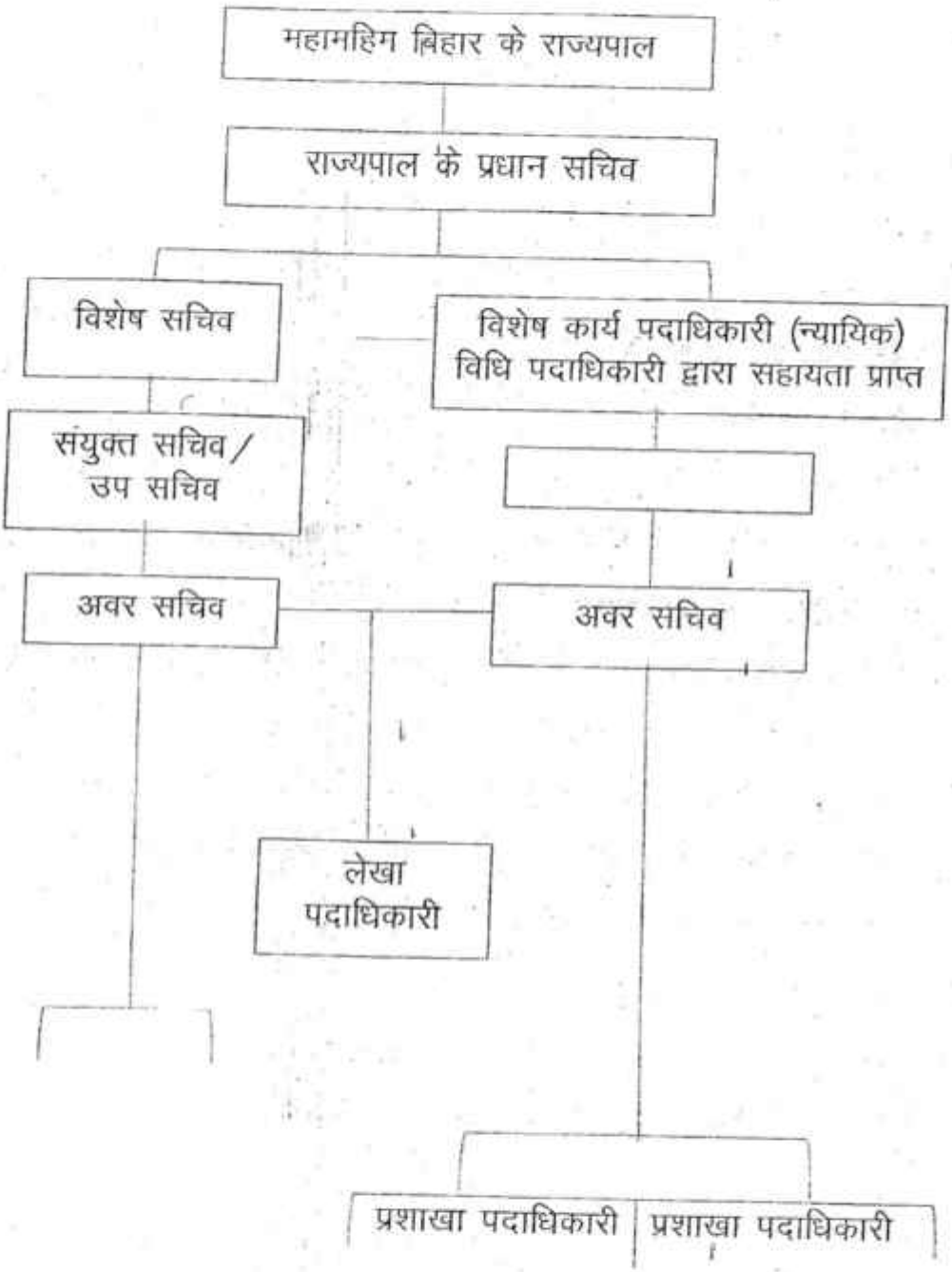

मैनुअल–4

कार्य निष्पादन हेतु नियमावली, विनियम, अनुदेश, मैनुअल तथा अभिलेख

सुलभ संदर्भ हेतु राजभवन में रखे गये अभिलेख/अधिनियम

1. भारत का संविधान
2. कार्यपालिका नियमावली 1979
3. बिहार सेवा संहिता
4. बिहार वित्तीय नियमावली
5. बिहार पेंशन नियमावली
6. सचिवालय अनुदेश
7. राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली।
8. राज्यपाल (उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 और राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) नियमावली, 1987
9. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (अद्यतन यथा संशोधित)।
10. पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (अद्यतन यथा संशोधित)
11. बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010
12. नालंदा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995
13. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008
14. बिहार जन्तु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम

101

मैनुअल–5

लोक सूचना पदाधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

क्र० सं०	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	फोन नं०		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	घर			
1	श्री प्रिय रंजन	अवर सचिव	0612	2786102–07 विस्तार 110	विस्तार–177	2786178	governorbihar@nic.in	राजभवन, पटना पिन–800022
2	श्री कमलेश प्र० सिन्हा	प्रशाखा पदाधिकारी	0612	2217202–07 विस्तार 111	विस्तार–115	2786178	governorbihar@nic.in	राजभवन, पटना पिन–800022

विभागीय अपीलीय प्राधिकारी :

क्र० सं०	नाम	पदनाम	एसटीडी कोड	फोन नं०		फैक्स	ई–मेल	पता
				कार्यालय	घर			
1	श्री संजय कुमार	विशेष कार्य पदा०	0612	2786181 2786102–07 विस्तार 181		2786178	osdj-gs-bih@nic.in	राजभवन, पटना पिन–800022

मैनुअल–6

निर्णय लेने में पालन की जानेवाली प्रक्रिया

1. संवैधानिक एवं कानूनी मामले : राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होने के नाते मंत्रिपरिषद् की मदद एवं सुझाव से कार्य करता है। कार्यपालिका नियमावली 1979 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मामले को बिहार सरकार सचिवालय के संबंधित विभाग में संसाधित किया जाएगा और मंत्रिमंडल या संविभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से प्रस्ताव कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संबंधित प्रधान सचिव/सचिव द्वारा महामहिम राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाएगा। जब संबंधित सरकारी संचिका राज्यपाल सचिवालय में प्राप्त होगी, संबंधित प्रशाखा द्वारा मामले की जाँच की जाएगी सिवाय विश्वविद्यालय मामलों के जिसे विश्वविद्यालय प्रशाखा द्वारा संसाधित किया जाएगा/जाँच की जाएगी। महामहिम राज्यपाल के अनुमोदनार्थ समर्पित प्रस्ताव की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित होने के पश्चात् संचिका राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव द्वारा राज्यपाल/कुलाधिपति के अनुमोदनार्थ महामहिम के पास प्रस्तुत किया जाएगा। सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली 1930 के नियम 57 (5) के अधीन सरकारी सेवकों द्वारा विचार हेतु की गयी अपील पर भी यही प्रक्रिया लागू होगी जिसमें मंत्रिमंडल के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
2. अर्जियाँ : व्यक्तिगत रूप से या डाक से प्राप्त हुई अर्जियों की सूचना महामहिम राज्यपाल को दी जाएगी और ऐसी अर्जी पर महामहिम राज्यपाल के आदेश का अनुपालन होगा। जहाँ यह समझा जाएगा कि मामले में अतिरिक्त खोजबीन करना जरूरी और अपेक्षित है, संबंधित प्राधिकारियों से एक प्रतिवेदन की माँग की जाएगी और इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदन की सूचना महामहिम को दी जाएगी ताकि आगे आदेश दिया जा सके और तदनुसार मामले का निस्तारण हो सके। जहाँ यह समझा जाए कि संबंधित प्राधिकारियों को दिशानिर्देश जारी करना जरूरी है, कानून के प्रावधानों के आलोक में अर्जीदार के अनुरोध पर विचार करने हेतु उचित दिशानिर्देश जारी किया जाएगा और अर्जीदार के प्रज्ञापन के अधीन उचित निर्णय लिया जाएगा। जारी किये गये ऐसे निर्देशों की प्रतियाँ अर्जीदार को सूचनार्थ प्रेषित की जाएँगी।

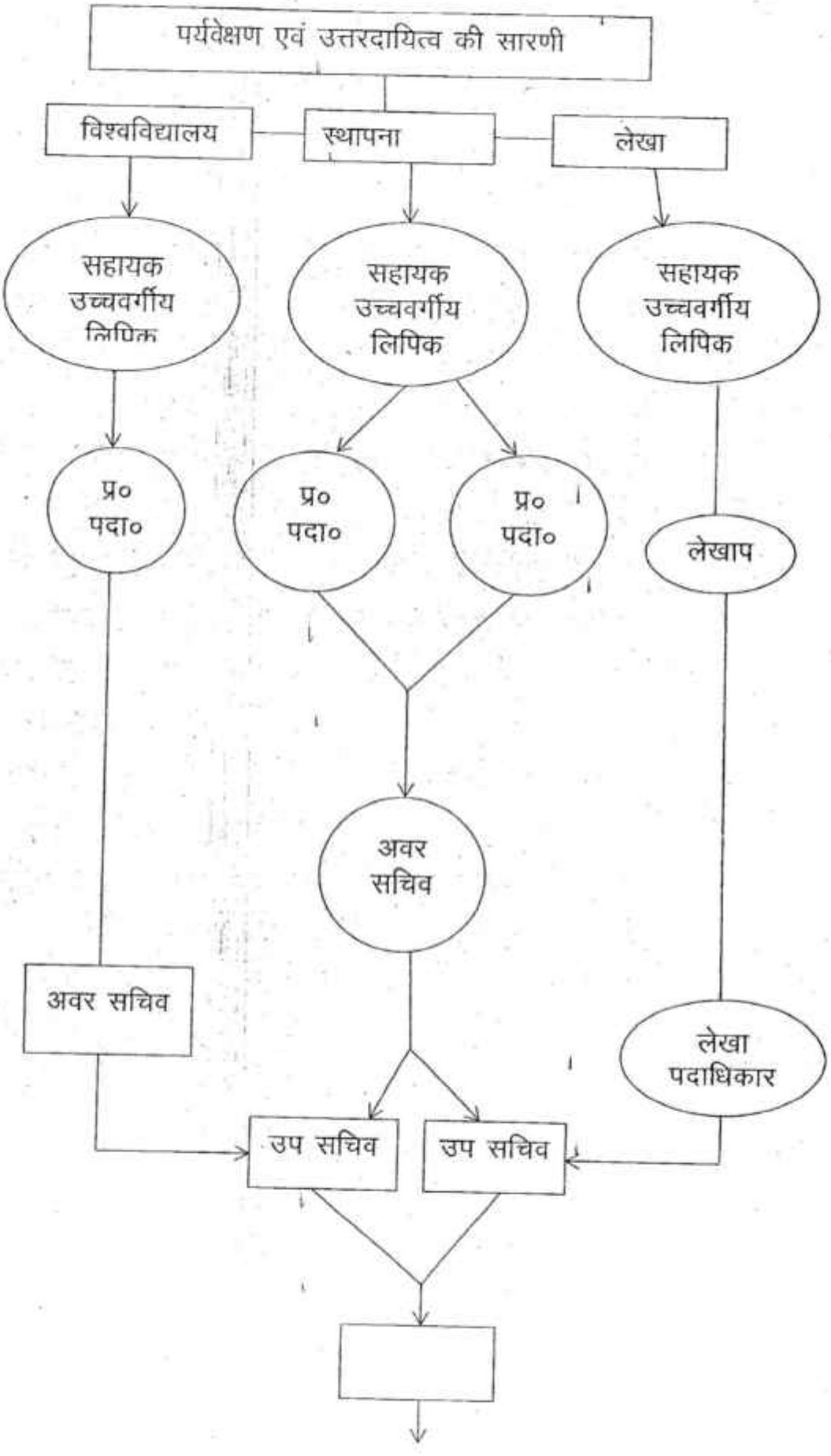
पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व की सारणी
विश्वविद्यालय
स्थापना
लेखा
सहायक उच्चवर्गीय लिपिक
सहायक उच्चवर्गीय लिपिक
सहायक उच्चवर्गीय लिपिक
प्र० पदा०
प्र० पदा०
प्र० पदा०
लेखाप
अवर सचिव
अवर सचिव
लेखा पदाधिकार
उप सचिव
उप सचिव

स्वीकृत पद सहित पदाधिकारी–कर्मचारी निर्देशिका

राजभवन पटना के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची

क्र॰ सं॰	नाम	पदनाम
1.	श्री रॉबर्ट एल चोंग्थू	महामहिम के सचिव
2.	श्री विनोद कुमार तिवारी, बि.न्या.से.	विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक)
3.	श्री राम अनुग्रह नारायण सिंह,भा॰प्र॰से॰	संयुक्त सचिव
4.	श्री राज कुमार सिन्हा,भा॰प्र॰से॰	संयुक्त सचिव
5.	.....	
6.	मेजर धीरज बिष्ट	परिसहाय(ए.डी.सी)(सैन्य)
7.	श्री बलिराम कुमार चौधरी,भा॰पु॰से॰	ए.डी.सी. (पुलिस)
8.	श्री संजय कुमार, बि.प्र.से.	विशेष कार्य पदाधिकारी
9.	श्री विनय कुमार ठाकुर बि.प्र.से.	विशेष कार्य पदाधिकारी
10.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा, बि.प्र.से.	विशेष कार्य पदाधिकारी
11.	सैयद मुमताज हुसैन,	वरीप तकनीकी निदेशक(एन.आई.सी.)
12.	श्री धीरज नारायण, सुधांशु	जन–सम्पर्क पदाधिकारी
13.	श्री प्रिय रंजन	अवर सचिव
14.	श्री जमील अख्तर	अवर सचिव
15.	श्री भैरव नाथ सिंह	विश्वविद्यालय निरीक्षक
16.	डॉ॰ जितेन्द्र मोहन सिंह	चिकित्सा पदाधिकारी (प्रतिनियुक्ति)